

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

072 - डीग-कुम्हेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -


डा० शैलेश सिंह

गुलजार बाग, भरतपुर (राजस्थान) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान: एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर

तारीख: 03.12.2023


(डा० रवि कुमार गोयल)
रिटर्निंग अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग)
072 डीग-कुम्हेर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र

(डा० रवि कुमार गोयल)
रिटर्निंग अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग)
072 डीग-कुम्हेर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र

FORM 21C
(See rule 64)
(For use in General Election when Seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN state from the 072 - DEEG-KUMHER Assembly constituency

In pursuance of the provisions contained in the section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

DR. SHAILESH SINGH

GULJAR BAGH, BHARATPUR (RAJASTHAN) [Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY]
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : M.S.J. College, Bharatpur

Date : 03.12.2023



(DR. RAVI KUMAR GOYAL)

RETURNING OFFICER

(SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, DEEG)
072 DEEG-KUMHER ASSEMBLY CONSTITUENCY

(डॉ० रवि कुमार गौड़)

रिटर्निंग अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग)
072 डीग-कुम्हेर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र